कार्यालय निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक :—प.135/एनपीएस/जनरल/2016—17/ 2531-2621 दिनांक 16-8-2017

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रत्येक नव नियुक्त राज्यकर्मी की सेवाएं दो वर्ष तक परीवीक्षाधीन रहती है जिसके तहत राज्यकर्मी को मानदेय (Fixed Remuneration) दिया जाता है तथा स्थायीकरण आदेश जारी होने तक की तिथि तक कार्मिक की बीमा अथवा एनपीएस की कटौती नहीं की जाती है। विभागीय निर्देश क्रमाक 5838 दिनांक 11.01.2016 एवं कार्यालय आदेश क्रमाक 44 दिनांक 28.02.2017 द्वारा स्पष्टतः निर्देशित किया गया है कि परीवीक्षा काल पूर्ण होने से दो माह पूर्व प्रान जारी करवाने हेतु आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावे तथा सेवा नियमित होने पर तत्काल प्रान जारी करवाये जावें।

जिला कार्यालयों से इस प्रकार के प्रकरण प्राप्त हो रहे है, जिनमें एनपीएस अंशदाता को सेवाकाल में प्रान जारी नहीं हुआ तथा उसकी मृत्यु अथवा सेवानिवृति हो गयी। इन प्रकरणों में अन्तिम भुगतान हेतु वित्त विभाग की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाती है। वित्त विभाग द्वारा इसे गंभीरता से लिया गया है तथा निर्देशित किया है कि निर्धारित समय सीमा में जिन प्रकरणों में कार्मिक की नियमित नियुक्ति के साथ प्रान नम्बर जारी नहीं हुए है, के विषय को गंभीरता से लेवें तथा एनपीएस की कटौती से संबंधित सभी प्रक्रिया/कार्यवाही होना सुनिश्चित करें।

अतः इस संबंध में पुनः निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते है—

1. राज्य सेवा में नवनियुक्त कार्मिकों की प्रोबेशन अवधि समाप्ति से दो माह पूर्व प्रान जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।

2. सेवा नियमितिकरण के आदेश जारी होने पर विभागीय कार्यालय आदेश क्रमांक 44 दिनांक 28.02.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रान जारी करवाने की कार्यवाही की जावे।

3. एनपीएस कटौती पत्रों में बिना प्रान नम्बर अंकित किये गये वेतन बिलों को आक्षेपित किया जावे।

4. जिला कार्यालय (बीमा) से संबद्ध एनपीएस कटौती पत्रों की जांच कर सुनिश्चित कर लेवें कि किसी कार्मिक का प्रान जारी करना शेष नहीं है।

5. ऐसे कर्मचारियों जिनको प्रान जारी नहीं हुए है/प्रान गलत है के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 7184—7191 दिनांक 10.03.2016 द्वारा निम्न प्रारूप में डाटाबेस तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। संबंधित संभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थ जिला कार्यालयों

से सूचना संकलित कर 10 दिवस में ईकजाई सूचना एनपीएस अनुभाग मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

Name of District DTO	Drawing and Disbursing Officer	DDO Reg. No.	Name of Deptt.	Name of Empoyee	Date of Joining	Emp. ID	PPAN No.	Wrong PRAN	Remark (Reason of non issuing of PRAN)

(भंवर लाल मेहरा)
निदेशक

क्रमांक :–प.135/एनपीएस/जनरल/2016–17/2531-2621 दिनांक 16-8-2017

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, निदेशक महोदय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर।
2. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान, मुख्यालय एवं समस्त संभागीय कार्यालय।
3. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावें।
4. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग समस्त जिला कार्यालय राजस्थान को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करने का श्रम करें।
5. समस्त कोषाधिकारी राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (एनपीएस)